ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Owner
DOLLY SHARMA
situated near village Biloua Tehsil Dabra District Gwalior -474001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/77542/2021 dated 07 Jul 2022. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP156262**
2.	**File No.**	8817/2021
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B1
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Biloua Stone (Gitti) Quarry (Survey No. 3921)
7.	**Name of Company/Organization**	DOLLY SHARMA
8.	**Location of Project**	Madhya Pradesh
9.	**TOR Date**	17 Jan 2022

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 06/01/2023

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (Madhya Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/77542/2021 - प्रकरण क्र 8817/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती डाली शर्मा पत्नी श्री रमन शर्मा, निवासी, काजल टाकीज के पास फल्का बाजार लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष, (SEAC द्वारा अनुसंशित) रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 3921, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/77542/2021** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 11.07.2022) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 9129 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 26°01'47.82" से 26°01'49.92' और देशांतर 78°18'28.90" से 78°18'23.00" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 763वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्रीमती डाली शर्मा पत्नी श्री रमन शर्मा, निवासी, काजल टाकीज के पास फल्का बाजार लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष, (SEAC द्वारा अनुसंशित) रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 3921, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. **कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का आदेश क्र. 24510 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.08.2031 तक मान्य रहेगी।**
2. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जलाशय से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

5. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

6. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित अन्य लीज धारकों के साथ समन्वय एवं सहयोग से परिवहन मार्ग (Haul Road) में संयुक्त रूप से पाईपलाईन बिछाकर धूल के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, सीताफल चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	200
2	परिवहन मार्ग में(न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	350
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, सीताफल,अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	650
		कुल	**1200**

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
14. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
17. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
21. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

31. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजट केपीटल राशि रू. 08.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.52 लाख पर्यावरण प्रबंधन योजना में निहित प्रावधान अनुसार रहेगा।

34. खनन कार्य स्वीकृत खान योजना एवं प्रस्तावित भू उपयोग के अनुसार किया जाये। खनन सुरक्षा हेतु महानिदेशालय द्वारा निर्धारत डेंजर जोन (500मी.) के विनियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाये एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।

35. स्वीकृत खनन क्षेत्र का सीमांकन अंक्षाश एवं देशांतर दर्शाते हुये बाउन्ड्री पिलर पर सीमा चिन्ह द्वारा किया जाये एवं खनन क्षेत्र के चारो ओर फेन्सिग करवाई जाये। खनन क्षेत्र में सूचना पटल पर खदान की जानकारी एवं सुरक्षा उपायों का दर्शया जाये ।

36. धूल के दमन के हेतु पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले वाहनों पर पानी छिड़काव हेतु सोलर पंप/पानी के टैंकरों के साथ आवेरहेड स्प्रिंकलर और निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जानी चाहिये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक लॉग बुक रखी जाये जिसमे पानी के छिड़काव और वाहन की आवाजाही का दैनिक विवरण दर्ज किया जाये।

37. खनिज का परिवहन केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुये पी.यू.सी प्रमाणित वाहनों में किया जाये, जिससे निर्धारित निर्गम स्थलों पर होने वाले फुगिटिव (Fugitative) उत्सर्जन को रोका जासके।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (WBM/Black top) बनाया जाये।

39. खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाये एवं MPPCB के निर्देश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायो को स्थापित करें।

40. इनबिल्ट एपी.सी.डी और वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम के साथ क्रेशर सड़क से न्यूनतम 100मी. दूर और बसाहट से 500 मीटर की दूरी, पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बाद ही फुगिटिव उत्सर्जन से बचने के उपयुक्त सामग्री की कम से कम 04 मी. ऊंची विंड ब्रेंकिंग वॉल के साथ स्थापित किया जाये।

41. लोडिंग मशीनों की कार्य ऊंचाई बेंच कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार युक्तिसंगत हो।

42. ठोस कारतूस की जगह घोल मिश्रित विस्फोटक (SME) का उपयोग किया जाये।

43. ओवर बर्डन का पुनः उपयोग सड़क के रखरखाव के लिये किया जाये, परियोजना प्रस्तावक आई.बी.एम द्वारा अनुमोदित अंतिम क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

44. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिये समुचित कार्य किये जाये एवं इसके लिये आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया जाये।

45. श्रमिकों का छहः मासिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये एवं श्रमिको को आवश्यक पी.पी.ई किट प्रदान किया जाये। तथा श्रमिको/कर्मचारियों के लिये विश्राम आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरूष और महिला के लिये अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाये। खदान के कार्यालय/विश्राम गृह इत्यादि को सोलर लाईट द्वारा रोशन और हवादार किया जाये।

46. वित्तीय जवाबदेही के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी और सीईआर गतिविधियों में किये गये सभी व्यय के लिये एक अलग बैंक खाता रखा जाना जाये एवं इसका विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में दिया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये मेटीगेटिव उपायों के लिये आवंटित ई.एम.पी बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाये।

47. कंपन से बचने के लिये ब्लास्टिंग के दौरान कोई ओवरचार्जिंग नहीं की जाये केवल मफल ब्लास्टिंग को ही अपनाया जाये। ब्लास्टिंग केवल प्रमाणित ब्लास्टर के माध्यम से की जाये और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना खदान स्थल पर विस्फोटक भंडारन न किया जाये।

48. खदान के पानी को खनन क्षेत्र से बाहर न छोड़ा जाये अपितु उसका उपयोग छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिये किया जाये। अपवाह और वर्षा जल के लिये उपयुक्त आकार के गारलैंण्ड ड्रेन और सेटलिंग टैंक (SS Pattern) की व्यवस्था की जाये।

49. सभी गारलैंण्ड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाये एवं बचे हुये पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास और लाभकारी संयंत्र (Beneficiation Plant) के लिये किया जाये। नालों और गड्ढों की गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से किया जाये।

50. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA/SEAC में जमा किये गये दस्तावेजों में विसंगति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

51. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढें एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का उपयोग खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन कार्य समाप्ति के उपरांत खदान के पुनरूद्धार के लिये खनन विभाग द्वारा अनुमानित उचित राशि को कलेक्टर के शासकीय कोष में जमा कराया जाये।

52. पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने/उखाड़ने से पहले वन विभाग एवं पानी की आवश्यकता/उपयोग हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्राप्त की जाये।

53. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।

54. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

55. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

56. सभी खदाने जहां उत्पादन > 50000 घन मीटर/वर्ष है, उनमें परियोजना प्रस्तावक बजट आंवटन के साथ पर्यावरण प्रबंधन परियोजना (ई.एम.पी) और कार्पोरेट इन्वायमेंटल रिस्पॉस्बिलिटी (CER) में प्रस्तावित विभिन्न खनन संबधी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिये अपनी वेबसाईट विकसित करे एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे गारलैंण्ड ड्रेन, सेटलिंक टेंक, वृक्षारोपण, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, परिवहन एवं सड़क को ठीक करना आदि का छमाही प्रगति प्रतिवेदन इस वेबसाईट एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी अपलोड करे एवं वेबसाईट के नियमित रख –रखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक या खनन प्रबंधक की होगी।

57. सभी प्रकार के मृदा खनन, की अधिकतम गहराई सामान्य जमीनी स्तर से 02 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रावधान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम नंबर एल–11011/47/2011–आईए–II (एम) दिनांक 24/06/2013 के अनुसार मान्य होगा।

58. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र जो उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उनमे फिर से पुनः इस ऐसी स्थिति में बहाल करेंगा जो कि घास, वनस्पतियों इत्यादि के विकास के लिए उपयुक्त हो। इसके लिये, एम.ओ.ई.एफ. एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22-34/2018–आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।

59. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z–11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मिटिगेटिव उपायों का पालन करेगा।

60. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

61. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के तहत यदि आवश्यक हो तो ऑथराईजेशन प्राप्त करेगा।

62. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :

- खदान के मालिक का नाम संपर्क विवरण ।

- परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)।
- परियोजना की उत्पादन क्षमता ।

63. ई.एम.पी के अतंर्गत प्रावधानित बजट अनुसार खदान के 7.5 मीटर बैरियर जोन मे सघन वृक्षारोपण संबधित सी.सी.एफ (सामाजिक वानिकी) के मार्गदर्शन अनुसार एवं डी.एफ.ओ/ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य की अनुमति तथा वन विकास निगम/वन समिति जैसे वन रेंज अधिकारी की निगरानी में किया जायें।

64. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. (Over burden) डंप न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो, इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट भी वनमंडलाधिकारी को हस्तांतरित किया जाये ।

65. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियॉ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।

66. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले कम से कम 100 पौधे और अधिकतम वृक्षारोपण योजना अनुसार आस–पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाए। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की **"अंकुर योजना"** के अंतर्गत **"वायुदूत ऐप"** पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (Meditional Garden) प्रस्तावित है, उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किये जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

67. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपित पेड़–पौधों की सिचांई हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

68. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

69. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :–स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :–विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :–पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :–पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :–भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

(ब) मानक शर्ते

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये ।
2. SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और आवृत्तियों पर की जाये।
3. ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययन में आस–पास के घरों और कृषि क्षेत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये।
4. अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल दिन में ही की जाये।
5. Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगी।
6. खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाये।
7. उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये।
8. खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये। खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में, SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।
9. लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये।
10. खनन क्षेत्र से निकाले गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये।
11. स्थानीय सड़के, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने खर्च पर किया जायेगा।
12. मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे। भू–टेक्सटाइल मैटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों और झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये। डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये।

13. जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेंचेस/ गारलैंड ड्रैन्स का निर्माण किया जाये साथ ही नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये. उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी/बारहमासी नाले (यदि कोई) में गाद के जमाव को रोकने हेतु पर पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गुली प्लग्स का निर्माण कराया जाये। नियमित अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये।

14. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे।

15. ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी/ठोस कचरे का ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सूधार के लिए उपयोग करे। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये।

16. ओवर बर्डन (OB) को केवल निर्धारित डंप साइट (साइटों) पर ही रखा जाए और लम्बे समय तक नहीं रखा जाए। डंप की अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर होना चाहिए और डंप की ढलान 35^0 से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबी डंप को बैकफिल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह के अपवाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ों के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये।

17. पुनर्वासित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकसित न हो जाए। अनुपालन की स्थिति छह मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

18. पौधों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.ओ./ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। वृक्षों के अलावा जड़ी–बूटियाँ और झाड़ियाँ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेगा। खनन क्षेत्र के पुनर्वास सहित वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा।

19. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होनी चाहिए। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण/ सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें। खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये। खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा।

20. RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ–साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता–निगरानी (एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा। स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए। मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये।

21. परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, S02, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये।

22. खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता कों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये।

23. सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा। हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये। क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये।

24. काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये। HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाऐ और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाए जायें।

25. भूजल स्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा। क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और उसके बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।

26. खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात प्री–मानसून (अप्रैल–मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट–मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रीत किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा।

27. खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत निर्धारित मानकों एवं उसमे हुए समय–समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिचित किया जाये। खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये। टेलिंग बांध से छोड़े गए पानी, (यदि कोई हा) की नियमित रूप से निगरानी की जाऐ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। यदि भूजल की गुणवत्ता और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा।

29. खनन कार्यो से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य प्रभाव आदि सहित श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की जाये। श्रमिकों पर श्वसन योग्य खनिज धूल के संपर्क में आने के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी और श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाया जाये। खनन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहतियाती उपायों को समय–समय पर चलाया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए।

30. परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

31. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।

32. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

33. खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बस्तियों को बचााने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये।

34. परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनेंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

35. निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यो हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यो के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।

36. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवशयक एवं संबधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।

38. परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाके की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी।

39. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

40. जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श – सुझाव/सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

41. परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय,

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MP SEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवशयक होगी।

42. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

43. इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।

44. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।

45. तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूठे/गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

46. इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी।

47. अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अग्निशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावको को लागू किया जाएगा।

48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय–समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। मानदंड प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM, RSPM, SO2, NOx (एम्बिएंट स्तर के साथ–साथ स्टैक उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

49. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म–V में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार), को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।

3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
Date: 1/6/2023 6:04:53 PM